रजिस्ट्री स. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 400] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 1983/भाद्र 19, 1905
No. 400] NEW DELHI, SATURDAY, SEPT. 10, 1983/BHADRA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1983

सं. 260/83-सीमा-शुल्क

का. आ. 650(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के गंगापुर तालुका में वालूज गांव को भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करता है ।

[फा. सं. 473/111/83-सी.शु.-7]

आनन्द छाबड़ा, सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1983

No. 260/83-CUSTOMS

S.O. 650(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Waluj in Gangapur Taluka of Aurangabad District in the State of Maharashtra, to be a warehousing station.

[F. No. 473/111/83-CUS.VII]

A. K. CHHABRA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983